

263



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण फिराणी-3276/2018/रीवा/मध्य

श्री. मुकेश शर्मा
द्वारा आज दि. 29-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 30-5-18 नियत।

मुकेश शर्मा
क्लर्क ऑफ़ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. हरीशंकर पुत्र शोभनाथ जयसवाल
 2. पुष्पराज पुत्र हरीशंकर जयसवाल
 3. राहुल पुत्र हरीशंकर जयसवाल
- तीनों निवासीगण ग्राम सुंदर पुरवा वार्ड कं.
6 तहसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. मुस. कमला बाई बेवा पत्नी श्यामसुंदर जयसवाल
 2. शिवशंकर जयसवाल पुत्र श्यामसुंदर जयसवाल
 3. ~~मुस. कमला~~ गीतादेवी बेवा उमाशंकर जयसवाल
 4. नीतेश कुमार पुत्र उमाशंकर जयसवाल
- सभी निवासीगण ग्राम सुंदर पुरवा वार्ड कं.
6 तहसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)


WS
मुकेश शर्मा
29-5-18 (30-5-18)
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा द्वारा रा.प्र.कं.
262/बी-121/2017-18 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक
10.4.2018 एवं 24.05.2018 के विरुद्ध म.प्र. शु. राजस्व
संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

— 2 —
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—3276 / 2018 / रीवा / भू.रा.

हरीशंकर जयसवाल आदि विरुद्ध मुस. कमलां बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मऊगंज, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 262/बी-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 10-04-2018 एवं 24-05-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;"> (आर0क0 जैन) 31/3/19 सदस्य</p>